प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ....459/22........ दिनांक........30/11/2022........
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं **7 भ्र0नि0 (संशोधित) अधिनियम 2018......**
   (2) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....
3. (क) घटना का दिन :– 17.10.2022
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 17.10.2022 समय :– 12.08 ए.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....542........ समय........10:45PM.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) चौकी से दिशा एवं दूरी – **पूर्व एवं 65 किलोमीटर**
   बीट संख्या..जुरामदेही सं..
   (ख) पताः– **कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी जिला बूंदी।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– **श्री रामावतार मीणा**
   (ख) पिता का नाम :– **श्री नन्दकिशोर मीणा**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **24 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि.............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – **खेती बाडी**
   (छ) पता :– **ग्राम लबान थाना देहीखेडा जिला बूंदी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   श्री **पंकज त्रिपाठी पुत्र श्री भारत भूषण निवासी लाखेरी जिला बूंदी हाल तकनीकी सहायक–द्वितीय (स्टोर कीपर) कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी जिला बूंदी।**
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)...
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 17.10.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस ज्ञानचन्द के मोबाईल नम्बर 9784557609 पर परिवादी श्री रामावतार मीणा ने उसके मोबाईल नम्बर 8949901519 से फोन पर वार्ता कर सूचना दी कि –" लाखेरी के सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग कार्यालय का स्टोर कीपर पंकज मेरे खराब हुये ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर देने की एवज में 3000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं स्टोर कीपर पंकज को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ।" परिवादी द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करवाने के कम में परिवादी को कस्बा लाखेरी में उपस्थित मिलने के निर्देश दिये गये।

दिनांक 17.10.2022 को ही परिवादी रामावतार मीणा द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन के कम में मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय श्री राम सिंह कानि. 78, श्री मनोज कानि. 452, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के दो डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर सरकारी वाहन बोलेरो से बूंदी से रवाना होकर लाखेरी कस्बा लाखेरी में पहाडी के नीचे भौमियां जी के मन्दिर परिसर में पहुँचा, जहां पर पाबन्दशुदा परिवादी रामावतार मीणा उपस्थित मिला।

मन् उप अधीक्षक को परिवादी रामावतार मीणा पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी गांव लबान थाना देईखेडा जिला बूंदी द्वारा मौखिक हालात अवगत करवाते हुये एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि – "प्रार्थी की जमीन गांव लबान में मौजूद है जिसमें विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले वर्ष खराब हो गया, जिसकी शिकायत ए.ई.एन. कार्यालय में कर रखी है। इस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिये स्टोर कीपर पंकज बार–बार चक्कर कटवा रहा है तथा 3000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मैं अपने

जॉयज काम के लिये स्टोर कीपर को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

मन् उप अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर परिवादी रामावतार ने बताया कि मेरी पंकज से कोई रंजिश नही है तथा कोई उधारी का लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं पूछताछ से मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया गया। इस पर मन् उप अधीक्षक ने परिवादी श्री रामावतार मीणा को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर, सुपुर्द कर समझाइश की गई कि आरोपी कर्मचारी से अपने कार्य के सम्बन्ध में बातचीत कर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री मनोज कानि. 452 को परिवादी पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादी के साथ उसकी स्वयं की मोटरसाइकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक मय हमराह जाप्ता व वाहन के दीगर गोपनीय कार्य में मुकीम रहा।

समय 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री रामावतार मीणा व श्री मनोज कानि. 452 बाद रिश्वत मांग सत्यापन के भौमियां जी के मन्दिर परिसर लाखेरी उपस्थित आये। परिवादी रामावतार मीणा ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि –"मैं व मनोज दोनों मेरी मोटरसाइकिल से रवाना होकर विद्युत विभाग कार्यालय लाखेरी के बाहर पहुँचें, जहां पर मनोज मेगा हाईवें पर साईड खडा रहा और मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करके स्टोर में पंकज से बातचीत करने गया तो पंकज मुझे स्टोर में मिला, जिससे मैनें ट्रांसफार्मर बदलने के सम्बंध में बातचीत की तो पंकज ने मेरे से नया ट्रांसफार्मर देने की एवज में 3000 रूपये रिश्वत की मांग की है एवं रिश्वत कम करने का निवेदन करने पर भी 3000 रूपये की मांग पर अडा रहा तथा नये ट्रांसफार्मर को मेरे खेत तक पहुँचानें के लिये ट्रेक्टर चालक मनराज से फोन पर वार्ता करके 2500 रूपये अलग से ट्रेक्टर चालक के लिये मांग की है। पंकज से बातचीत करके मैं बाहर आया तथा डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द करके मनोज के पास गया तथा दोनों मेरी मोटरसाइकिल से रवाना होकर आपके पास आये है।" श्री मनोज कानि. 452 से भी पूछने पर परिवादी के कथनों की पुष्टि की। मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को जरिये ईयरफोन सुना गया तो रिकार्ड वार्ता से रिश्वत मांगने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया।

परिवादी श्री रामावतार मीणा ने मन् उप अधीक्षक को बताया कि मेरे पास स्टोर कीपर पंकज को रिश्वत देने के लिये अभी 3000 रूपये नही है। मैं रूपयो की व्यवस्था करके कल दिनांक 18.10.2022 को भौमियां जी मन्दिर लाखेरी ही मिल जाउंगा। इस पर परिवादी रामावतार मीणा को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। मन् उप अधीक्षक मय जाप्ता दीगर गोपनीय राजकार्य में व्यस्त हुआ।

तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय जाप्ता श्री राम सिंह कानि. 78, श्री मनोज कानि. 452, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो से कस्बा लोखरी से रवाना होकर बूंदी आया। श्री मनोज कानि. 452 से डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों व सत्यापन वार्ता के आधार पर ट्रेप कार्यवाही होने की पूर्ण सम्भावना होने के कारण स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु तहरीर जारी श्री मनोज कानि. 452 को तहरीर देकर स्वतंत्र गवाहों को दिनांक 18.10.2022 समय 09.30 ए.एम. पर चौकी हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाने कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी बूंदी रवाना किया गया। बाद पाबन्द गवाह के श्री मनोज कानि. 452 चौकी हाजा आया तथा बताया कि कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी बूंदी जाकर दो स्वतंत्र गवाहान श्री अनुपम, कर सहायक व श्री विकास राज मीणा वरिष्ठ सहायक को दिनांक 18.10.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर चौकी पर उपस्थित होने बाबत पाबन्द करवाया जा चुका है। पत्र को शामिल कार्यवाही किया गया।

दिनांक 18.10.2022 समय 09.30 ए.एम. पर कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी बूंदी से दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अनुपम सर्वा पुत्र मूलचन्द सर्वा जाति दर्जी उम्र 35 साल निवासी म. नं. 55 विवेकानन्द कॉलोनी, जैन मन्दिर के पास, देवली जिला टोंक हाल कर सहायक व श्री विकास राज मीणा पुत्र श्री पुष्कर राज, जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी म.नं. 13, ओम एनक्लेव, आनन्दी होटल के पीछे, कोटा रोड बूंदी हाल वरिष्ठ सहायक उपस्थित चौकी आये।

मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय जाप्ता श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, श्रीमती हेमेन्द्रा म.कानि. 416 मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 मय ट्रेप बॉक्स,

लेंपटॉप प्रिन्टर, डिजिटल वॉईस रिकार्डर व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के प्राइवेट वाहन से तथा दूसरे प्राइवेट वाहन से श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, श्री राजकमल कानि. 330, श्री मनोज कानि. 452, स्वतंत्र गवाहान श्री अनुपम सर्वा व श्री विकास राज मीणा के बूंदी से रवाना होकर भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी पहुँचा। मन् उप अधीक्षक अन्य गोपनीय कार्यवाही से फारिक होने के बाद परिवादी श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी गांव लबान थाना देईखेडा जिला बूंदी अपनी मोटरसाइकिल से भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी आया तथा बताया कि स्टोर कीपर पंकज ने अभी मेरे को 3000 रूपये लेकर बुलाया है तथा मैं रिश्वत में दिये जाने के लिये 3000 रूपये लेकर आया हूँ। इस पर स्वतंत्र गवाहान का परिवादी रामावतार मीणा से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 17.10.2022 को पेश प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति दी।

स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी रामावतार मीणा ने अपने पास से पांच–पांच सौ रूपये के 6 नोट कुल राशि 3,000 रूपये मन उप अधीक्षक के समक्ष पेश करने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अकिंत किये। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 द्वारा प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड बॉक्स से फिनोप्थलीन पावडर की शीशी मंगवाकर सभी नोटो पर श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से फिनोप्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रामावतार मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री अनुपम सर्वा से लिवाई जाकर पावडर लगे नोट 3000 रूपये परिवादी रामावतार मीणा की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 की फिनोप्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बधितों को दिखाकर गुलाबी धोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 से फिनोप्थलीन पाउडर की शीशी वापस प्राईवेट वाहन मे डेस्क बार्ड बॉक्स मे रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोप्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती हेमेन्द्रा म0कानि. 416 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री रामावतार मीणा को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री रामावतार मीणा को समझाइश की गई कि आरोपी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

समय 01.25 पी.एम. पर श्रीमती हेमेन्द्रा म.कानि. 416 को भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी में ही रहने की हिदायत करके परिवादी श्री रामावतार मीणा व अन्य परिवादी को अपनी–अपनी मोटरसाइकिलों से रिश्वत लेन–देन हेतु रवाना कर पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से भौमियां जी मन्दिर परिसर लाखेरी से विद्युत कार्यालय लाखेरी रवाना हुआ। रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से विद्युत कार्यालय लाखेरी के सामने मेगा हाईवे पर पहुँचा। परिवादी श्री रामावतार मीणा को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सिपुर्द कर आरोपी पंकज स्टोर कीपर के पास रिश्वत लेन–देन हेतु आरोपी के कार्यालय में स्थित स्टोर कक्ष पर रवाना किया। मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ते के विद्युत कार्यालय के बाहर मेगा हाइवे पर परिवादी के इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम रहा।

समय 01.45 पी.एम. पर परिवादी श्री रामावतार मीणा विद्युत कार्यालय लाखेरी से बाहर निकल कर पैदल पैदल वापस आया तथा मन् उप अधीक्षक के पास आकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर रिकार्डर पेश कर बताया कि मैं स्टोर कक्ष पर गया तो स्टोर कक्ष बन्द मिला तथा पंकज मुझे वहां पर नही मिला। मैंने पंकज के फोन किया तो उसने बताया है कि मैं कस्बे में आ गया, वापस आने पर कॉल कर बुला लूंगा। इस पर परिवादी रामावतार मीणा को स्टोर के आपस पास ही रहकर आरोपी पंकज के उपस्थित आने पर सूचित करने व आस–पास ही रहने के निर्देश

देकर रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के अन्य परिवादी की शिकायत पर अन्य आरोपी की ट्रेप कार्यवाही में व्यस्त हुआ।

समय 03.35 पी.एम. पर परिवादी रामावतार मीणा मन् उप अधीक्षक के पास कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी में उपस्थित आया तथा बताया कि " पंकज मेरा फोन रिसीव नही कर रहा है तथा स्टोर कक्ष में भी पंकज नही है। पंकज को मेरे पर आशंका हो गई है इस कारण अब मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा, क्योंकि आप द्वारा इसी विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता को अभी ट्रेप किया है।" परिवादी के बताये अनुसार स्टोर कीपर पंकज के विरूद्ध रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडे जाने की सम्भावना नही होने से परिवादी से रिश्वत राशि 3000 रूपये वापस प्राप्त कर एक कागज के लिफाफे में रखकर श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के पास सुरक्षित रखवाये गये।

परिवादी रामावतार ने रिश्वत राशि 3000 रूपये वापस लौटाने बाबत मन् उप अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पंकज को मेरे पर शक हो जाने के कारण कारण अब पंकज मेरे से रिश्वत नही लेगा। इसलिये मेरे 3000 रूपये मुझे लौटाये जाये। परिवादी द्वारा पेश किये गये हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर स्वतंत्र गवाहों के समक्ष रिश्वत राशि 3000 रूपये 500-500 सौ रूपये के कुल 6 नोटों से पाउडर साफ करवाकर परिवादी रामावतार मीणा को लोटाये गये तथा प्रार्थना पत्र की पुस्त पर रूपये प्राप्त करने की रसीद प्राप्त कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी रामावतार मीणा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने के सम्बंध में ब्यूरो कार्यालय बूंदी पर आईन्दा उपस्थित होने की समझाइश कर रूखस्त किया गया। मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के अन्य ट्रेप कार्यवाही में व्यस्त रहा।

दिनांक 21.10.2022 को पाबन्दशुदा परिवादी रामावतार मीणा ब्यूरो कार्यालय बूंदी उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि आप द्वारा जेईएन के खिलाफ ट्रेप कार्यवाही होने के बाद दिनांक 19.10.2022 को मेरे को नया ट्रांसफार्मर देकर मेरे खेत पर लगवा दिया है। अब मेरे से पंकज रिश्वत नही लेगा। स्वतंत्र गवाहान श्री अनुपम सर्वा, श्री विकास राज मीणा को जरिये दूरभाष वार्ता कर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द करवाने पर दोनों स्वतंत्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये।

परिवादी श्री रामावतार मीणा तथा आरोपी श्री पंकज, स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी जिला बूंदी के मध्य दिनांक 17.10.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी। मालखाना में रखवाये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मंगवाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता में आवाज की पहचान परिवादी रामावतार मीणा से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

परिवादी श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी गांव लबान थाना देईखेडा जिला बूंदी तथा श्री पंकज, स्टोर कीपर, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी जिला बूंदी के मध्य दिनांक 17.10.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में उक्त वार्ता को सरकारी लेपटॉप में डिजिटल वाईस रिकार्डर लगाकर वार्ताओं की चार सी0डी0 तैयार करवाई गई। जिसमें से तीन सी.डी. को कपडे की थैली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक सी0डी0 को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखी गई। फर्द डबिंग व जब्ती सीडी मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई।

परिवादी रामावतार मीणा द्वारा नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिये विद्युत कार्यालय लाखेरी से दिनांक 15.09.2022 को प्राप्त की गई रसीद (इण्डेन) की फोटोप्रति पेश करने पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के उक्त रसीद पर हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यवाही में जप्तशुदा सीडी को जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी रामावतार मीणा व स्वतंत्र गवाहान श्री अनुपम सर्वा, श्री विकास राज मीणा को बाद कार्यवाही रूखस्त किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 17.10.2022 को श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी गांव लबान थाना देईखेडा जिला बूंदी ने

एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि –" प्रार्थी की जमीन गांव लबान में मौजूद है जिसमें विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले वर्ष खराब हो गया, जिसकी शिकायत ए.ई.एन. कार्यालय में कर रखी है। इस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिये स्टोर कीपर पंकज बार–बार चक्कर कटवा रहा है तथा 3000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मैं अपने जायज काम के लिये स्टोर कीपर को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

परिवादी द्वारा पेश शिकायती प्रार्थना पत्र एवं मजमून दरयाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पाया जाने पर रिश्वत मांग का दिनांक 17.10.2022 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी रामावतार मीणा से आरोपी पंकज, स्टोर कीपर द्वारा नया ट्रांसफार्मर देने की एवज में 3000 रूपये रिश्वत मांग की गई तथा नये ट्रांसफार्मर को परिवादी के खेत तक पहुँचानें के लिये ट्रेक्टर चालक के नाम से 2500 रूपये अलग से मांग करना पाया गया। दिनांक 18.10.2022 को ट्रेप कार्यवाही का प्रयास किया गया, परन्तु आरोपी पंकज त्रिपाठी को परिवादी रामावतार पर शक हो जाने के कारण आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करने के बावजूद रिश्वत राशि प्राप्त नही की। इस कारण आरोपी के विरूद्ध रिश्वत लेते हुये आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही पाई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नियमानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.10.2022 मे आरोपी पंकज त्रिपाठी द्वारा रिश्वत मांगने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया है।

आरोपी पंकज त्रिपाठी पुत्र श्री भारत भूषण निवासी लाखेरी जिला बूंदी हाल तकनीकी सहायक–द्वितीय (स्टोर कीपर), कार्यालय सहायक अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी पंकज त्रिपाठी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन सी0पी0एस0 जयपुर प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बूंदी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पंकज त्रिपाठी पुत्र श्री भारत भूषण, तकनीकी सहायक-द्वितीय(स्टोर कीपर), कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, लाखेरी, जिला बूंदी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 459/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.11.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:- 3947-50 दिनांक:- 30.11.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अधीक्षण अभियन्ता(बू.वृ.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. बून्दी।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

30.11.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।